

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघर : केट  
इन्दौर-452013

केवल अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिये विशेष अभियान  
विज्ञापन संख्या : आरआरकेट- 3/2013  
आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि **15.04.2013**

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में प्रशिक्षण हेतु वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थियों (श्रेणी II) के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

**पदों की कुल संख्या : अजजा-16**

पद कोड	ट्रेड	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
II- 1	इलेक्ट्रॉनिक्स/ इंस्ट्रूमेंटेशन	05	विज्ञान और गणित विषय के साथ एसएससी अथवा एचएससी में न्यूनतम 60% अंक तथा इंस्ट्रूमेंटेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स/फिटर/इलेक्ट्रिकल में आईटीआई/ एनसीवीटी प्रमाणपत्र।
II- 2	फिटर	08	आईटीआई/एनसीवीटी योग्यता निम्नलिखित दो में से एक होनी चाहिए - 1) आईटीआई /एनसीवीटी को मिलाकर न्यूनतम 2 वर्ष अथवा
II- 3.	इलेक्ट्रिकल	03	2) 1 वर्ष की अवधि का आईटीआई और पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद 1 वर्ष का संबंधित ट्रेड का अनुभव।

**नोट :**

- वे अभ्यर्थी जो बी.एससी./इंजीनियरिंग में डिप्लोमा /एएमआईई / इंजीनियरिंग में उपाधि/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं अथवा बी.एससी./इंजीनियरिंग में डिप्लोमा /एएमआईई / इंजीनियरिंग में उपाधि/ समकक्ष (अंतिम वर्ष) परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- आईटीआई प्रमाणपत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए।

**आयु सीमा :**

- दिनांक **15.04.2013** को 18 वर्ष (न्यूनतम) और 22 वर्ष (अधिकतम)

आवेदन करने वाले व्यक्ति का जन्म दिनांक 16/04/1991 के पहले तथा 16/04/1995 के बाद का नहीं होना चाहिये।

उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट।

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित आयु छूट भी लागू है :

- क) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य है। इस आशय का सबूत प्रस्तुत करना होगा कि 1984 के दंगों में वे प्रभावित हुए थे।
- ख) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए: अधिकतम 15 वर्ष तक।
- ग) उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं, परन्तु किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी।

निवास सबूत के संबंध में प्रमाण-पत्र :

कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय सिविल सेवा एवं सिविल पद (सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा छूट) नियमावली 1998 के नियम 3 के तहत लागू आयु सीमा की छूट लेने के इच्छुक है उन्हें निम्नलिखित अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

- क) जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्राधिकार में वे सामान्यतः रहते थे।  
अथवा
- ख) कोई अन्य प्राधिकारी जो जम्मू -कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो उससे इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे जम्मू -कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान सामान्य रूप से अधिवासी थे।

**2 (क) प्रशिक्षण की कुल अवधि : दो वर्ष**

**2 (ख) प्रशिक्षण के दौरान वजीफा :**

पहले वर्ष के लिए रू. 6,200/- प्रतिमाह

दूसरे वर्ष के लिए रू. 7,200/- प्रतिमाह

उपरोक्त के अलावा, प्रशिक्षणार्थी उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित अनुमोदित पुस्तकें खरीदने के लिए एक बार पुस्तक भत्ते के रूप में 1500/- पाने के हकदार होंगे।

**2 (ग) आवास :**

अभ्यर्थियों को आरआरकेट द्वारा आरआरकेट कालोनी में आवास उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित शुल्क पर शेयरिंग आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

3. आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापन में लिखी सभी पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। उम्मीदवार को अपने आवेदन -पत्र में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में रखा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण से पूर्व आवेदन पत्रों की केवल सरसरी तौर पर जाँच की जाएगी तथा भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण के समय उम्मीदवारों की पात्रता की विस्तृत जाँच की जाएगी। अतः आवेदन की विस्तृत जाँच होने तथा आवेदक को सभी प्रकार से पात्र पाए जाने तक आवेदक की उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी। यदि उम्मीदवार उक्त पद के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो आरआरकेट को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार होगा। उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में आरआरकेट का निर्णय अंतिम होगा। केवल उम्मीदवार को बुलावा पत्र जारी करने तथा लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनुमति देने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि

उम्मीदवार की उम्मीदवारी अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई है या आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित जानकारियों को सत्य और सही मानकार स्वीकार कर लिया गया है।

**4. लिखित परीक्षा :**

एक घंटे की अवधि की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए इन्दौर में कम से कम दो दिनों तक ठहरने की तैयारी से आना होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को इन दो दिनों के लिए कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एसएससी/एचएससी/ आईटीआई स्तर के विषयों पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सीमित कर उसी दिन अथवा अगले दिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

अभ्यर्थी का अंतिम चयन एवं श्रेणीकरण उनके साक्षात्कार में किए गए कार्य निष्पादन पर आधारित होगा और लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों पर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। केन्द्र का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

**5. प्रशिक्षण क्षेत्र :**

चयनित अभ्यर्थियों को इस केन्द्र की युक्ति-युक्त आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक ट्रेड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार केन्द्र में संबंधित ट्रेडों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम /प्रशिक्षण स्थान के लिए चयन/विकल्प नहीं होगा।

प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 24 घण्टे शिफ्ट ड्यूटी, रात्रिकालीन पारी सहित, विभिन्न पारियों में कार्य करना पड सकता है।

**6. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात ग्रेड:**

प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर साक्षात्कार एवं प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कार्यों के आधार पर निम्नलिखित ग्रेडों में से एक ग्रेड के लिए विचार किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कार्य के आधार पर, नियुक्ति के समय उन्हें अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जा सकती है।

वर्तमान दरों पर वेतनमान एवं कुल परिलब्धियां निम्नानुसार रहेंगी :-

पद	पे बैंड	ग्रेड पे	पे बैंड में प्रारंभिक वेतन	कुल परिलब्धियां (अनुमानित)
तकनीशियन/सी	रु. 5200-20200 पीबी-1	रु. 2400/-	रु. 7,510/-	रु. 19,700/-
तकनीशियन/बी	रु. 5200-20200 पीबी-1	रु. 2000/-	रु. 6,460/-	रु. 16,930/-

**7. बंधपत्र :**

चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने और यदि प्रशिक्षण के पश्चात अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति के पश्चात की 3 वर्ष की अवधि तक आरआरकेट, इन्दौर अथवा परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने का बंधपत्र भरना होगा। प्रशिक्षणार्थी जिन्हें नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया है, प्रशिक्षण पूरा करने में अथवा 3 वर्षों की

सरकारी सेवा करने में असफल रहते हैं तो सरकारी नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्राप्त हुई वजीफे की संपूर्ण समकक्ष राशि ब्याज सहित सरकार को लौटानी होगी।

## 8. आवेदन कैसे करें :

- i. आवेदन-पत्र यहां दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

अभ्यर्थी, जो ऑन-लाइन आवेदन करना चाहते हैं, कृपया वेबसाइट <http://www.rrcat.gov.in> देखें। ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व बंद हो जाएगी।

अभ्यर्थी जो (ऑन-लाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके) ऑन लाइन आवेदन कर रहे हैं, को आवेदन की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि दर्शाए गए पते पर संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ भेजना होगी। आवेदन की मूल प्रतिलिपि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अथवा इससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए।

- ii. आवेदन-पत्र ए-4 आकार के पेपर में टंकित होगा तो अच्छा रहेगा।  
iii. आवेदन-पत्र और लिफाफे पर "विज्ञापन सं. आरआरकेट-3/2013 तथा श्रेणी-II के पद कोड ----- के लिए आवेदन-पत्र" लिखा होना चाहिए।  
iv. एक पद के लिए केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।  
v. अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से भेजे।  
vi. आवेदन के साथ एक अतिरिक्त फोटो भेजा जाए।

## 9. प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां

अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की साक्ष्यांकित एक-एक प्रति संलग्न करनी चाहिए :-

- क) शैक्षणिक योग्यताएं / अनुभव और तकनीकी / व्यावसायिक योग्यताओं (उपयुक्त अंकसूचियां जिनमें परीक्षा में लिए गए विषय दर्शाए गए हो) से संबंधित प्रमाणपत्र  
ख) जन्म-तिथि प्रमाणपत्र (कक्षा 10 वीं अथवा 12 वीं की अंकसूची अथवा प्रमाणपत्र)  
ग) उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार में नौकरी हेतु लागू निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जन जाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।  
घ) शारीरिक रूप से अशक्तता के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी से अशक्तता प्रमाणपत्र। (अशक्त व्यक्तियों के लिए लागू)

## 10. सुनने में अशक्त व्यक्तियों के प्रमाणपत्र के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं

- i) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अशक्तता प्रमाणपत्र विधिवत रूप से जारी किया जाना

चाहिए। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करें जिनमें कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।

- ii) जिन अभ्यर्थियों में अशक्तता अस्थाई तौर पर है, उनके लिए प्रमाण-पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। जहाँ कहीं अशक्तता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना रहेगी वहाँ प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि मेडिकल बोर्ड दर्शाएगा। वे जिन्हें स्थाई अशक्तता है तो वैधता को स्थाई दर्शाया जा सकता है। अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर, मेडिकल बोर्ड सभी तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो मामले के लिए उचित होंगे।

**नोट :-**

- क) लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा। हालाँकि, पहले से ही केन्द्र/राज्य सरकार सेवा, केन्द्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय सरकारी संस्थान और पंचायतों में कार्यरत अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- ख) इस विज्ञापन के मद्दे चयनित किए गए अभ्यर्थियों को आरआरकेट, इंदौर में प्रशिक्षित किया जाएगा। सफल प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें आरआरकेट, इंदौर में तैनात किए जाने की संभावना है, किन्तु उन्हें भारत के किसी भी स्थान और परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करना होगा।
- ग) उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियाँ अस्थाई हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है। विज्ञापन में दर्शाए गए रिक्त पद भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भरे जाएंगे और यदि निर्णय लिया गया तो, पद न भी भरे जा सकते हैं, अन्यथा समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों की शर्तें लागू रहेंगी।
- घ) प्रचालन संयंत्रों एवं क्षेत्रों में उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली झूठी में 24 घंटे शिफ्ट झूठी (रात की पारी सहित) में कार्य करना शामिल होगा।
- ङ) उपरोक्त पदों के मददे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं एफ.सं.5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर के तहत यथा अधिसूचित नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- च) केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए। हालाँकि, वे अपने आवेदन की अग्रिम प्रति ऊपर वर्णित संलग्नकों के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं। वे साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण" पत्र भी ला सकते हैं।
- छ) अभ्यर्थी द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित अपना आवेदन निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए।

प्रशासनिक अधिकारी-III,  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र,  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
डाकघर-केट, इंदौर -452013

ज) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15.04.2013 है।

**महत्वपूर्ण सूचना :**

ऐसे आवेदन पत्र, जो विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं - अर्थात् आवेदन पत्र, जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं, जिसके साथ पासपोर्ट आकार का स्वसत्यापित फोटो (दो फोटो) प्रमाण-पत्रों की सत्यापित जेराक्स/फोटो प्रतियाँ संलग्न नहीं हैं, अस्वीकार किए जाने की संभावना है। विज्ञापन में दर्शाई गई जरूरतों को सिर्फ पूर्ण करने से ही प्रत्याशी साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं हैं। जहां इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक है तथा इस केन्द्र के लिए सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार करना व्यवहार्य नहीं है, तो यह केन्द्र, प्राप्त अंकों के प्रतिशत और दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संख्या सीमित कर सकता है। इस संबंध में किए गए पत्र व्यवहार का जवाब नहीं दिया जाएगा।

**‘सरकार एक ऐसे कार्यदल बनाने का प्रयास कर रही है जो लिंग-समानता को प्रतिबिंबित करें और महिलाओं को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करें।’**

**चेतावनी : किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा**